122
5:25 PM

संख्या–1384 /XVIII-(2)/F/2013-04(27)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द ,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनःदिनांक 06 दिसम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यो हेतु धनाबंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश सं0–1368 /XVIII-(2)/F/2013-04(27)/2013 दिनांक 03 दिसम्बर,2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यो हेतु ₹ 134.83 करोड़ की धनराशि जनपदवार लोक निर्माण विभाग को सड़कों हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा जनपदवार आबंटित की गई धनराशि को भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय की गाईड लाइन्स के अनुसार तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत कार्यों (Restoration) में ही व्यय की जायेगी। इस मद से पुनर्निर्माण (Re Construction) का कार्य अनुमन्य नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 29.8.2013 आपके अवलोकनार्थ/उपयोगार्थ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न आदेश में रू0 206.73 करोड़ की धनराशि सड़क व पुलों की तात्कालिक मरम्मत के लिए स्वीकृत है तथा जिलों के सभी सड़क मार्गों में एस0डी0आर0एफ0 मानकों के अनुरूप ही स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी ।

3– एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत स्वीकृत उपरोक्त धनराशि के व्यय हेतु योजनाओं/ कार्यों का चयन मानकों के अनुरूप किया जायेगा। सड़कों के जो कार्य/मदें एस0डी0आर0एफ0 मानकों में आच्छादित है, उन्ही पर व्यय किया जायेगा। एस0डी0आर0एफ0 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों से पृथक कोई कार्य नहीं किये जायेंगे।

4– योजनाओं की स्वीकृति के उपरान्त उनकी सूची शासन को भी प्रस्तुत की जायेगी एवं उक्त का प्रकाशन शासकीय वेबसाइड पर भी किया जायेगा।

5– कोषागार नियम–24 के अन्तर्गत जो धनराशि इस मद में आहरित की गई है, उसका भी समायोजन कर लिया जायेगा।

6– दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में भी उक्त स्थिति आपको स्पष्ट की जा चुकी है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सड़क सेक्टर हेतु उक्तानुसार जनपदवार स्वीकृत की गई धनराशि के सम्बन्ध में योजनाओं का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि अवशेष होती है अथवा व्यय की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

7– **शासनादेश संख्या–1368/XVIII-(2)/F/2013-04(27)/2013, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।**

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–1384 (1)/XVIII-(2)/F/13-04(27)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव